



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 853 वर्ष 2026

मलखान सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार त्रिपाठी, मनीष कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण कान्त सिंह

न्यायालय संख्या 54

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार तिवारी और राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संजय कुमार रे को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है: -

" (i) दिनांक 05.09.2016 की अधिसूचना को *सर्टिफिकेट* प्रकृति का आदेश/निर्देश जारी कर इस सीमा तक निरस्त किया जाए कि उक्त अधिसूचना के क्रमांक 11 पर उल्लिखित ग्राम अखतौली को, उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम के नियम-17(ख) के अनुसार, चकबन्दी कार्यवाही से विलोपित किया जाए (याचिका के परिशिष्ट सं.-1)।

(ii) परमादेश की प्रकृति का आदेश/निर्देश जारी कर प्रत्यर्थीगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 06.06.2025 एवं 22.12.2025 के प्रत्यावेदन पर, जो कि प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2025 एवं 02.01.2026 के अनुपालन में



प्रस्तुत किए गए हैं, इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त एवं न्यायोचित समझी जाने वाली किसी निर्धारित अवधि के भीतर विचार कर निर्णय लें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश ग्रामीण विचाराधीन गांव में चकबंदी अभियान में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश जोत समेकन अधिनियम, 1953 (इसके बाद 'उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 6 के तहत गांव को अधिसूचित करने के लिए अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा गांव के ग्रामीणों के साथ दायर अभ्यावेदन/आवेदन को भी रखा कि गांव को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियमकी धारा 6 के तहत अधिसूचित किया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश होल्डिंग्स समेकन नियम, 1954 (इसके बाद 'उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 17 के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए और दिनांक 5.9.2026 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना वर्ष 2016 में जारी की गई थी और रिट याचिका 10 साल बाद दायर की गई है, इस तरह इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और संबंधित गांव के ग्रामीणों के एक समूह के कार्य के कारण, चकबंदी अभियान संबंधित गांव में उचित तरीके से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियमकी धारा 4 के तहत जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना के खिलाफ किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कानून के अनुपात को देखते हुए, उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियमकी धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना के खिलाफ हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान चचेरे भाई द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि 5.9.2016 को विचाराधीन गांव के संबंध में उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियमकी धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई है।

7. इस प्रकरण में शामिल विवाद को समझने के लिए, उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम 17 का अवलोकन आवश्यक होगा जो इस प्रकार है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"नियम 17. धारा 6. - अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई [अधिसूचना], अन्य कारणों के अलावा, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के संबंध में रद्द की जा सकती है, अर्थात्, कि-

(क) क्षेत्र इस तरह की एक विकास योजना के तहत है क्योंकि जब पूरा हो जाएगा तो चकबंदी कार्य किसान वर्ग के एक वर्ग के लिए असमान हो जाएगा;

(ख) गांव की जोत पहले से ही किसी न किसी कारण से समेकित है और कार्यकालधारक सामान्यतः वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं;

(ग) गांव को पार्टी गुटों द्वारा इतना तोड़ा गया है कि गांव में उचित चकबंदी की कार्यवाही बहुत कठिन हो गई है; और

(घ) कि इस प्रयोजन के लिए क्षेत्र की सभी भूमि को एकत्रित करने के बाद क्षेत्र में खेती करने के लिए एक सहकारी समिति का गठन किया गया है।

8. प्रकरण के बैच में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने रिट याचिका संख्या 337/1990 (राजाराम ओझा बनाम चकबंदी आयुक्त, लखनऊ और अन्य), 2015 (126) आरडी 124, निर्णीत दिनांक 31.03.2014 में अभिनिर्धारित किया है कि उ0प्र0 जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना सशर्त कानून है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 8 और 9 को यहां उद्धृत किया गया है: -

"8. राज्य की ओर से उद्धृत प्राधिकारियों के पास आते हुए, कृषि और औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम कृषि सिंडिकेट लिमिटेड के प्रकरण में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय का उल्लेख करना उचित है। उत्तर प्रदेश राज्य 1976 आरडी 35. इस प्रकरण में यह माना गया था कि उत्तर प्रदेश होल्डिंग्स समेकन अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी की गई अधिसूचनाएं एक कार्यकारी कार्य के प्रयोग में नहीं हैं, बल्कि एक विधायी कार्य हैं। यह निर्णय इस प्रकार दर्ज करता है: "जैसा कि पहले ही आयोजित किया गया है, अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं राज्य सरकार द्वारा सशर्त विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की जाती हैं। यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि यह न्यायालय किसी भी विषय पर कानून बनाने या किसी भी क्षेत्र में कोई कानून लागू करने के लिए



विधायिका को परमादेश जारी कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार राज्य बनाम सर कमलेश्वर सिंह मनु/एससी/8741/2006 में देखा गया था: -

"यह संभवतः यह इरादा नहीं किया जा सकता है कि विधायिका को उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक कानून बनाने के लिए बाध्य होना चाहिए, क्योंकि उस तरह का कोई दायित्व न्यायालय द्वारा विधायी निकाय के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, यह न्यायालय ऐसा आदेश पारित नहीं कर सका जो राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र में चकबंदी की योजना को लागू करने के लिए बाध्यकारी बना देगा जहां उसकी राय में ऐसी योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। यह राज्य सरकार को सशर्त कानून की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के समान होगा।

9. राज्य द्वारा भरोसा किया गया दूसरा निर्णय देव नाथ केवट बनाम चकबंदी उप निदेशक 1990 आरडी 175 है। यह निर्णय, कृषि और औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्धारित अनुपात पर भरोसा करते हुए, निम्नानुसार कहा गया है: -

"परमादेश की रिट का दायरा अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि जब तक राज्य और प्राधिकरण पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य से इनकार नहीं किया जाता है और राज्य ने वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने से इनकार नहीं किया है, तब तक परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में, अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना जारी करने से इनकार करके यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने उस पर लगाए गए किसी भी सांविधिक कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे प्रकरण में परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। हालांकि, याचिकाकर्तागण के लिए यह खुला है कि यदि सलाह दी जाती है तो वे अपने अभ्यावेदन के साथ राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।"

9. इस न्यायालय ने 2016 (131) आरडी 478, जसमित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि उ०प्र० जोत चकबन्दी नियमावली का नियम 17 अनिवार्य नहीं है।

10. इस न्यायालय ने 2015 (128) आरडी 666 दलीप सिंह और अन्य बनाम विक्रम सिंह और अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (1) और 6 (1) के तहत जारी अधिसूचना प्रकृति में विधायी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम 17 के दायरे के साथ-साथ उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना के खिलाफ रिट याचिका के दायरे पर डिवीजन बेंच के साथ-साथ इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

25 मार्च, 2026

पीएस*

Translated Version. Not for Legal Use.